:: न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राज0) ::

क्रमांक 114 दिनांक 27/7/23

:: कार्यालय आदेश ::

मैं गौरव शर्मा, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राज.) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश के अधीन तथा धारा 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व के आदेश क्रमांकः 33 दिनांकित 13.09.2022 को निरस्त कर झालावाड़ न्यायक्षेत्र में लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 (जिसे आगे पोक्सों एक्ट के नाम से संबोधित किया गया है) के अन्तर्गत उद्भव होने वाले मामलों में गवाह/पीड़ित/अभियोक्त्री के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन/बयान लेखबद्ध किये जाने के लिए संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र के संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है। (उदाहरण स्वरूप पुलिस थाना खानपुर के क्षेत्र में उद्भव होने वाले पोक्सों मामलात के गवाह/पीडित/अभियोक्त्री के धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे)

पुलिस थाना कोतवाली, झालावाड़ में लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत उद्भव होने वाले मामलों में गवाह/पीड़ित/अभियोक्त्री के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन/बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे।

इसी प्रकार पुलिस थाना सदर, झालावाड़ में लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत उद्भव होने वाले मामलों में गवाह/पीड़ित/ अभियोक्त्री के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन/बयान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे।

पोक्सों अधिनियम के अतिरिक्त अन्य मामलों (भारतीय दण्ड संहिता या अन्य विधि) में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत गवाह/पीड़ित/अभियोक्त्री के बयान लेखबद्ध किये जाने के लिए कॉलम संख्या-02 में अंकित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थानों में उद्भव होने वाले मामलों के लिए कॉलम संख्या-03 में अंकित न्यायिक अधिकारी को अधिकृत किया जाता हैः-

क्र0 01.	न्यायालय का नाम 02.	बयान लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम 03.	
01	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़	1	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, झालावाड़
		2	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, झालावाड़
		3	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		4	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		5	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
02	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, झालावाड़	1	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		3	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, झालावाड़
		4	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
		5	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन
03	अति. मुख्य न्यायिक	1	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		2	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़

	मजिस्ट्रेट, संख्या 02, झालावाड़	3	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, झालावाड़
		4	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
		5	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन
04	न्यायिक मजिस्ट्रेट झालावाड़	1	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		2	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, झालावाड़
		3	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, झालावाड़
		4	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन
		5	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
05	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़	1	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		2	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, झालावाड़
		3	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, झालावाड़
		4	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन
		5	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
06	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन	1	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन
		2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		3	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		4	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, झालावाड़
		5	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, झालावाड़
07	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन	1	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
		2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		3	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		4	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, झालावाड़
		5	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 02, झालावाड़
08	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा	1	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
		2	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना
		3	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर
		4	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन
		5	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
09	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा	1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
		2	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना
		3	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर
		4	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन
		5	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
10	अति. मुख्य न्यायिक	1	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी
		2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिडावा
		3	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला

	मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी	4	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		5	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
11	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी	1	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी
		2	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा
		3	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला
		4	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		5	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
12	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना	1	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
		2	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
		3	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर
		4	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन
		5	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालरापाटन
13	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला	1	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी
		2	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी
		3	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिड़ावा
		4	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
		5	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
14	न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर	1	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
		2	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा
		3	ग्राम न्यायालय, झालरापाटन
		4	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड
		5	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़
15	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिडावा	1	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी
		2	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी
		3	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमहला
		4	न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड
		5	अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़

<u>आवश्यक नोटः</u>

01. पोक्सो एक्ट व अन्य मामलात में गवाह/पीड़ित/अभियोक्त्री के धारा 164 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत बयान संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा मामले के अनुसंधान अधिकारी द्वारा आवेदन करने पर अविलम्ब उसी कार्यदिवस (यथासंभव) को विधि अनुसार लेखबद्ध किये जावे। पीड़ित/अभियोक्त्री की पहचान अनुसंधान अधिकारी से विधि अनुसार सुनिश्चित करवाई जावे।

02. पोक्सो मामलात में पुलिस थाना के संबंधित न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर रहने अथवा अनुपस्थित रहने/मुख्यालय से बाहर होने की स्थिति में उक्त न्यायालय के लिंक अधिकारी द्वारा गवाह/पीड़ित/अभियोक्त्री के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन/बयान लेखबद्ध किये जायेंगे।

03. उक्त सारणी में कॉलम संख्या 03 में वर्णित प्रथम न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने अथवा अनुपस्थित होने की स्थिति में क्रमानुसार अन्य वर्णित न्यायिक अधिकारी द्वारा बयान लेखबद्ध किये जायेंगे।

04. यदि सारणी के कॉलम सं. 2 व कॉलम सं. 3 में वर्णित न्यायिक अधिकारी का चार्ज पद रिक्त होने पर एक ही न्यायिक अधिकारी के पास है तो कॉलम सं. 3 में वर्णित क्रमानुसार वर्णित अन्य न्यायिक अधिकारी द्वारा बयान लेखबद्ध किये जावेंगे।

— Sd —
(गौरव शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालावाड़ (राज0)

क्रमांक 385 दिनांक 27/7/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय झालावाड़

02– माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, पोक्सो प्रकरण संख्या 01 एवं 02 झालावाड़।

03– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ संख्या 01 एवं 02 / भवानीमण्डी / अकलेरा / मनोहरथाना / झालरापाटन / चौमहला।

04– न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ / खानपुर / पिड़ावा / भवानीमण्डी / अकलेरा।

05– प्रिंसिपल मजिंस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, झालावाड़।

06– न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, झालरापाटन।

07– श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड़।

08– समस्त थानाधिकारी, पुलिस थाना ....

09– प्रभारी अधिकारी वायरलैस केन्द्र झालावाड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि झालावाड़ जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारी को इस आदेश से जरिए वितन्तु संदेश सूचित किया जावे।

10– सहायक निदेशक अभियोजन, झालावाड़।

11– अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, झालावाड़ / अकलेरा / भवानीमण्डी / झालरापाटन / मनोहरथाना / चौमहला / पिडावा / खानपुर।

12– सीनियर मुंसरिम, जिला न्यायालय झालावाड़।

13– सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय को झालावाड न्याय क्षैत्र की **Website-districts.ecourts.gov.in/jhalawar** पर इस आदेश को अपलोड़ करने हेतु।

14– आदेश / संबंधित पत्रावली

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झालावाड़ (राज0)